

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्रांक-06/विविध (बैठक)-08/2018/305

पटना, दिनांक - 21.02.18

प्रेषक,

सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार  
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार  
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार  
सभी पुलिस अधीक्षक, यातायात, बिहार

विषय :- स्कूल बसों में गति नियंत्रक उपकरण लगाया जाना सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

परिवहन यानों की तेज गति को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-290 (अ) दिनांक-15.04.2015 तथा अधिसूचना संख्या-424 (अ) दिनांक-01.05.2017 में 1 अक्टूबर 2015 के पूर्व पंजीकृत परिवहन यानों में गति नियंत्रक उपकरण (SLD) लगाया जाना आवश्यक किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित "कमेटी ऑन रोड सेफ्टी" के पत्र क्रमांक एफ015/2016/Cors दिनांक-11.04.2017 द्वारा गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध विभाग द्वारा पूर्व में भी परिपत्र एवं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-290 (अ) दिनांक-15.04.2015 की कंडिका-2 में स्कूल बसों में गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने संबंधी प्रावधान है।

उक्त के आलोक में स्कूल बस हेतु 40 किलोमीटर/घंटा की अधिकतम पूर्व नियत गति रखने वाले गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने का निदेश दिया जाता है।

उपर्युक्त के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिहार के सभी जिलों में संचालित स्कूल बसों में अविलंब गति नियंत्रक उपकरण लगाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उक्त बसों की गति सीमा 40 कि0मी0 प्रति घंटा से अधिक न हो। उक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति नई दिल्ली के पत्रांक-F,15/2016/CoRS दिनांक-11.04.2017 एवं परिपत्र सं0-3020 दिनांक-08.06.2017 के आलोक में फिटनेस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन

*Lian*  
19/2/18  
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्रांक-06/विविध (बैठक)-08/2018

पटना, दिनांक -

प्रेषक,

सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार  
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार  
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार  
सभी पुलिस अधीक्षक, यातायात, बिहार

विषय :- स्कूल बसों में गति नियंत्रक उपकरण लगाया जाना सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

परिवहन यानों की तेज गति को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-290 (अ) दिनांक-15.04.2015 तथा अधिसूचना संख्या-424 (अ) दिनांक-01.05.2017 में 1 अक्टूबर 2015 के पूर्व पंजीकृत परिवहन यानों में गति नियंत्रक उपकरण (SLD) लगाया जाना आवश्यक किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित "कमेटी ऑन रोड सेफ्टी" के पत्र क्रमांक एफ015/2016/Cors दिनांक-11.04.2017 द्वारा गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध विभाग द्वारा पूर्व में भी परिपत्र एवं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-290 (अ) दिनांक-15.04.2015 की कंडिका-2 में स्कूल बसों में गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने संबंधी प्रावधान है।

उक्त के आलोक में स्कूल बस हेतु 40 किलोमीटर/घंटा की अधिकतम पूर्व नियत गति रखने वाले गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने का निदेश दिया जाता है।

उपर्युक्त के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिहार के सभी जिलों में संचालित स्कूल बसों में अविलंब गति नियंत्रक उपकरण लगाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उक्त बसों की गति सीमा 40 कि0मी0 प्रति घंटा से अधिक न हो। उक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति नई दिल्ली के पत्रांक-F,15/2016/CoRS दिनांक-11.04.2017 एवं परिपत्र सं0-3020 दिनांक-08.06.2017 के आलोक में फिटनेस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी परिवहन विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी मोटरयान निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/M/s Promark Technologies Pvt. Ltd., 205, Bharadwaj Plaza, 85 A, Jamrudpur, Greater kailash - 1, New Delhi - 110048@M/s GRL Engineers, Plot No.-31, I.D.C.- Ind., Area, Opp. Jindal Marg, Hisar-125005 (Hry)@Pricol Limited, 109, Race Course, Coimbatore-641018, India@3GB Technology Pvt. Ltd., B-69, Dinesh Plaza, 22 Godam Industrial Area, Road No.-4, Jaipur-302006@Digila Devices India Pvt. Ltd., NH-212, Industrial Layout, Near Govt., Technical School Sultan Bathery, North Kerala, Pin-673592@Hovel Scales & Systems, Shahadra, Delhi, A-120, Jhilmil Flatted Factory Complex, Shahdara, Delhi-110032@M/s ECOGAS IMPEX Pvt. Ltd., New Delhi, A-120, Shop

Phone No.:- 0612-2546449, Fax :- 0612-2546212, E-mail :- transecy-bih@nic.in

No. 2, Plot No.-131/1-2, Buddh Vihar, Mathura Road (Near Sibble Cinema) Badarpur, New Delhi-110044@M/s MicroAutotech 31 Patparganj Industrial Area, Delhi-110092@SYN Auto Solutions Pvt. Ltd. Shop No.-81, First Floor, New anaj Mandi, Gurgaon, Haryana-122001@M/s ROSMERTA AUTOTECH, PVT. LTD., Regd. Off : Khasra No. 19/28, Kapashera, New Delhi-110037. (Corp. Office : 137, Udyog Vihar, Phase-I, Gurgaon-122016) @M/s Mijo Auto Gas Pvt. Ltd., S-110, Phase-1, Badli Industrial Area, Delhi-110042@Autograde International Pvt. Ltd., 35/334, Mamangalam Church Road, Palarivattom, Kochi, Kerala@M/s Convertz Technologies India Pvt. Ltd., Door No. 8-2-684/3/9, Road No. 12, Banjara Hills, Bhavani Enclave, Hyderabad-500034@GRL Engineers, Plot No.-31, I.D.C.- Ind., Area, Opp. Jindal Marg, Hisar-125005 (Haryana) @India Automobiles, #4, Sector-21A, Faridabad-121001 (Haryana) @Advantek Fuel Systems Pvt. Ltd., 4/13, Site - IV Indl. Area, Sahibabad, Ghaziabad - 2010109@Satyasai Tran - Systems Private Limited, #5-5-35/276A, Plot No. : 276A, Shakthipuram, Prashanthi Nagar, Kukatpally, Hyderabad-72. T. S. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे वैसे स्कूलों, जिनके द्वारा बसों का संचालन होता हो, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1305

पटना, दिनांक :- 21.02.18

प्रतिलिपि :-आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Lian  
19/2/18

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।